21/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं और न ही वादीगण उपस्थित। वादीगण व उसके वकील को रुक-रुक कर बार-बार आवाज लगायी गयी। कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)